न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 45/2022
जीसीएमएस नम्बर :-2022/00081

श्रीमती करूणा बडोला पत्नी पूनमचन्द बडोला, उम्र 53 वर्ष, निवासी ए-238, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा।

---वादिया

-: बनाम :-

1. लेहरू पुत्र डालू खारोल, उम्र वयस्क, निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. जमकू पत्नी डालू खारोल, उम्र वयस्क, निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

----प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित-

1- श्री गोपाल अजमेरा अभिभाषक वादी।
2- प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय दिनांक 1/5/26

वादिया ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 29.06.2022 को इस न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया जो रिपोर्ट उपरान्त दिनांक 01.07.2022 को वाद संख्या 45/2022 बउनवानी श्रीमती करूणा बडोला बनाम लेहरू वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादिया ने अपने वाद पत्र में इस आशय का अभिकथन किया कि- राजस्व ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजी संख्या 3548/7 रकबा 2 बीघा स्थित थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपरोक्त वर्णित आराजी में से पश्चिमी तरफ की भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा जो आम रास्ते से लगती हुई है, को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 15.09.2017 से श्रीमती ज्योती कर्णावट पत्नी राजेश कर्णावट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा को विक्रय कर उक्तानुसार विक्रयशुदा भूमि का कब्जा श्रीमती ज्योति कर्णावट को सिपुर्द कर दिया। तत्पश्चात वादी ने श्रीमती ज्योति कर्णावट से उपरोक्त वर्णित 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा से

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

आम रास्ते से लगती हुई भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 12.12.2019 से क्रय कर कब्जा एवं आधिपत्य प्राप्त किया तथा क्रय करने की दिनांक से ही क्रयशुदा रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का उपयोग उपभोग वादी करती चली आ रही है। वादी द्वारा क्रय किये गये रकबे के आराजी संख्या 3548/8 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कायम हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपरोक्त वर्णित विक्रयशुदा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो पश्चिम दिशा से आम रास्ते से लगती हुई है, को विक्रय कर देने के पश्चात उपरोक्त वर्णित विक्रयशुदा आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार शेष नहीं रहता है तथा वादी ने जो कि सद्भाविक क्रेता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा श्रीमती ज्योति कर्णावट को विक्रय किये गये रकबे को सद्भाविक तौर क्रय किया है तथा क्रय करने के पश्चात क्रयशुदा रकबे पर काबिज हो उपयोग उपभोग वादी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में बदनियति आ गई है तथा वह उपरोक्त वर्णित विक्रयशुदा रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पश्चिम दिशा से आम रास्ते से लगता हुआ पर वादी के कब्जे उपयोग में अनाधिकार तौर बाधा उत्पन्न करने लग गये है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपरोक्त वर्णित रकबा वर्ष 2017 में ही विक्रय किया जा चुका है तथा विक्रय करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विक्रयशुदा रकबे में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है, फिर भी वादी के क्रयशुदा एवं कब्जेशुदा रकबे पर आये दिन अनाधिकार तौर कब्जा करने एवं लड़ाई झगड़ा करने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आमदा रहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा कि उनके द्वारा आराजी में से 1 बीघा 10 बिस्वा रकबे को ज्योति कर्णावट को विक्रय किया है तथा ज्योति कर्णावट से वादी ने क्रय किया है, इस कारण उक्त विक्रयशुदा रकबे पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नहीं है, इस कारण वे अनाधिकार तौर कोई दखल अन्दाजी नहीं करे तथा वादी के कब्जे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने किसी प्रकार मानने को तैयार नहीं है तथा दिनांक 16.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर आये तथावादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे एवं कहने लगे कि वे उक्त आराजी पर वादी को काबिज नहीं रहने देगे तथा वादी को येनकेन प्रकारेण बेदखल करेगे। इस कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वादी द्वारा क्रय किये गये 1 बीघा 10 बिस्वा रकबा जो पश्चिम दिशा से आम रास्ते की ओर लगता हुआ है, पर वादी के कब्जे, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, वादी को बेदखल नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् तथा दौराने दावा वादी को जबरन तौर बेदखल कर दिया जावे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा पुनः काबिज कराये जाने की डिक्री बाबत् यह वाद पत्र प्रस्तत करना आवश्यक हुआ है।

वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनायवाद दिनांक 16.05.2022 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होने तथा वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा का होने से वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वाद पत्र अन्द अवधि नियत न्यायालय शुल्क पर पेश है।

प्रतिवादी संख्या 3 को भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाया है। जिसके विरूद्ध प्रभावी अनुतोष क्लेम नहीं किया है। इस कारण धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिये बिना ही वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का है। इस कारण अनुमति हेतु धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

वाद पत्र की पुष्टि में वादी का शपथ पत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः सादर निवेदन है कि-

1. वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्राम पुर की आराजी संख्या 3548/7 रकबा 2 बीघा में से वादी द्वारा क्रय की गई 1 बीघा 10 बिस्वा जो पश्चिम दिशा से आम रास्ते की ओर लगता हुआ है, जिसके हाल आराजी संख्या 3548/8 कायम हुए है, पर वादी के कब्जे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे तथा वादी की आराजीयात पर कब्जा नहीं करे।
2. दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया जावे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा वादी को पुनः काबिज करवाया जावे एवं पूर्ववत् स्थिति कायम फरमाई जावे।
3. हर्जा खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावें।
4. अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र का सत्यापन किया गया तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 पृथक से प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा बाद रिपोर्ट दिनांक 01.07.2022 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आदेश पारित किया गया। दिनांक 11.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उदयसिंह चारण ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 24.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु अनेक अवसर प्रदान करने के बावजूद भी जवाब नहीं करने के कारण जवाब बन्द करने के आदेश पारित किये गये और प्रकरण में आगामी पेशी साक्ष्य वादी में नियत की गई।

दिनांक 14.05.2022 को वादिया की ओर से **मौखिक साक्ष्य में** करूणा बडोला पत्नि पुनमचन्द बडोला का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पेश किया गया तथा उक्त गवाह का मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा **दस्तावेजी साक्ष्य में** निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये-

प्रदर्श-1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2069 से 2073 खाता संख्या नया 790 पुराना 2352 खसरा नम्बर 3548/8 रकबा 0.3794 हैक्टेयर ग्राम पुर।
प्रदर्श-2 नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 3548/8 ग्राम पुर
प्रदर्श-3 विक्रयपत्र पंजीयन दिनांक 15.09.2017 खसरा नम्बर 3548/7 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 10 बिस्वा बहक ज्योति कर्णावट
प्रदर्श-3ए- विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 15.09.2017 की फोटो प्रति बहक ज्योति कर्णावट
प्रदर्श-4 विक्रय पत्र पंजीयन दिनांकित 12.12.2019 बहक करूणा बडोला
प्रदर्श 4ए- विक्रय पत्र पंजीयन दिनांकित 12.12.2019 बहक करूणा बडोला की फोटोप्रति
प्रदर्श-5 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2069 से 2073 खाता संख्या नया 2494 पुराना 2352 खसरा नम्बर 3548/7 रकबा 0.1265 हैक्टेयर ग्राम पुर।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 16.07.2025 को प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने के कारण जिरह बन्द की गई तथा दिनांक 12.08.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा और साक्ष्य पेश करने से इन्कार करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई और पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है, अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये जाते है।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर वादिया के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो का खण्डन मौजूद नहीं है। वादिया के वाद पत्र में वर्णित तथ्य, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डनीय है। जहाँ वाद पत्र में वर्णित तथ्यो व साक्ष्य का खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं हो, वहाँ दावा डिक्री किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है, इत्यादि तर्को के आधार पर वाद पत्र में वर्णित तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 को निर्णीत किये बिना वाद पत्र को अन्तिम रूप से निर्णीत नहीं किया जा सकता। हमने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 में वर्णित तथ्यो का अवलोकन किया। वादिया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि वादिया की ओर से प्रतिवादी संख्या 5 राज्य सरकार के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद पत्र अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है। प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने की धमकीयां दी जा रही है तथा कभी भी वादी को बेदखल किया जा सकता है। इस कारण वाद पत्र अति-आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये ही यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि नोटिस देकर उस समयावधि का इन्तजार कर वाद पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रतिवादी द्वारा वादी को बेदखल कर दिया जायेगा। इस हेतु धारा 80(2) सी0पी0सी0 के तहत अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश है। अतः सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र को दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान फरमाई जावे।

हमारी सुविचारित राय में उक्त प्रार्थना पत्र को वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने के समय ही निर्णीत किया जाना चाहिये था परन्तु सहवन से उक्त प्रार्थना पत्र अनिर्णीत अवस्था में रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

वाद पत्र की मैरिट (गुणावगुण) पर विवेचन व विश्लेषण करने के लिए वादिया की दस्तावेजी साक्ष्य पर दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है। **प्रदर्श-1** प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2069 से 2073 राजस्व ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर-प्रथम, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की है जिसके खाता संख्या नया 790 पुराना 2352 खसरा नम्बर 3548/8 रकबा 0.3794 हैक्टेयर की खातेदारी वादिया करूणा पत्नि पूनमचन्द बडोला के नाम से दर्ज रिकार्ड है। **प्रदर्श-5** प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2069 से 2073 राजस्व ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर-प्रथम, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की है जिसके खाता संख्या नया 2494 पुराना 2352 खसरा नम्बर 3548/7 रकबा 0.1265 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 3548/8 ग्राम पुर का है जिसकी सीमाओ पर दृष्टिपात करने पर खसरा नम्बर 3548/7 के पश्चिमी दिशा में लगवां सींवजोड़ खसरा नम्बर 3548/8 स्थित होना प्रकट होता है। **प्रदर्श–3** विक्रयपत्र पंजीयन दिनांक 15.09.2017 व **प्रदर्श–3ए–** विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 15.09.2017 की फोटो प्रति बहक ज्योति कर्णावट है। उक्त विक्रय पत्र से साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लहरू व झमकू द्वारा खसरा नम्बर 3548/7 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 10 बिस्वा को श्रीमती ज्योति कर्णावट धर्मपत्नि राजेश कर्णावट को विक्रय की गई थी। प्रदर्श 3ए विक्रय पत्र में स्पष्ट अंकित है कि– ''आराजी नम्बर 3548/7 रकबा 2 बीघा में से पश्चिम तरफ की भूमि रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आम रास्ते से लगती हुई को मेरपाली दरख्तान एवं समस्त हक हकूको सहित प्रसन्नता से द्वितीय पक्ष (अर्थात् श्रीमती ज्योति कर्णावट) को विक्रय कर कब्जा मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है।'' **प्रदर्श–4** विक्रय पत्र पंजीयन दिनांकित 12.12. 2019 बहक करूणा बडोला है तथा **प्रदर्श 4ए–** विक्रय पत्र पंजीयन दिनांकित 12. 12.2019 बहक करूणा बडोला की फोटोप्रति है जिसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित/साबित है कि श्रीमती ज्योति कर्णावट ने खसरा नम्बर 3548/8 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को वादिया को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। जिस पर वादिया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो से वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि होती है। वादिया की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डनीय व अकाट्य साक्ष्य है। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

चूँकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मुतदाविया भूमि से वादिया को बेदखल कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में वादिया का वाद बाबत् आदेशात्मक आज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतएव वादिया का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्राम पुर की आराजी संख्या 3548/7 रकबा 2 बीघा में से वादी द्वारा क्रय की गई 1 बीघा 10 बिस्वा जो पश्चिम दिशा से आम रास्ते की ओर लगता हुआ है, जिसके हाल आराजी संख्या 3548/8 कायम हुए है, पर वादी के कब्जे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे तथा वादी की आराजीयात पर कब्जा नहीं करे।

वादिया का दावा बाबत् आदेशात्मक आज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 1/5/26 को सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
अरूण कुमार जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 45/2022
जीसीएमएस नम्बर :-2022/00081

श्रीमती करूणा बडोला पत्नी पूनमचन्द बडोला, उम्र 53 वर्ष, निवासी ए-238, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा।

---वादिया

-: बनाम :-

1. लेहरू पुत्र डालू खारोल, उम्र वयस्क, निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. जमकू पत्नी डालू खारोल, उम्र वयस्क, निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

----प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------ मिनजानिब मुद्धई रूबरू ---------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

अतएव वादिया का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्राम पुर की आराजी संख्या 3548/7 रकबा 2 बीघा में से वादी द्वारा क्रय की गई 1 बीघा 10 बिस्वा जो पश्चिम दिशा से आम रास्ते की ओर लगता हुआ है, जिसके हाल आराजी संख्या 3548/8 कायम हुए है, पर वादी के कब्जे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे तथा वादी की आराजीयात पर कब्जा नहीं करे।

वादिया का दावा बाबत् आदेशात्मक आज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा खर्चा अपना-अपना वहन करे।

14/1/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

निज------ मुबलिग------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ---------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 1/5/26 को जारी की गई।

अरूण कुमार जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प अर्जीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महनताना वकील	—	—	महनताना वकील	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—
हुक्मनामा	—	—	हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—

1/5/26

अरूण कुमार जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा